विधि–1(3)/ईंट भट्ठा समाधान योजना/2017–18/ 1178/1718050 /वाणिज्य कर।

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ, दिनांक 16 नवम्बर, 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि सीज़न वर्ष 2016–17 के लिये ईंट भट्ठा समाधान योजना लागू की गयी थी। वर्ष 2016–17 के लिये लागू समाधान योजना की शर्तों के अनुसार जी0एस0टी0 कर प्रणाली लागू होने की तिथि से प्रश्नगत समाधान योजना स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार सीज़न वर्ष 2016–17 के लिये लागू की गयी ईंट भट्ठा समाधान योजना दिनांक 30.06.2017 तक प्रभावी रही है। सीज़न वर्ष 2016–17 के लिये लागू समाधान योजना की शर्तों के अनुसार दिनांक 30.06.2017 तक कुल देय समाधान राशि का 75 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जानी थी।

ईंट भट्ठा समाधान योजना के सम्बंध में निर्धारित एम0आई0एस0 मॉड्यूल एम0पी0आर0–8 में ऑनलाइन उपलब्ध आँकड़ों की समीक्षा पर स्थिति निम्नवत् पायी गयीः–

1. माह अक्टूबर 2017 के एम0पी0आर0–8 में गाजियाबाद प्रथम, लखनऊ प्रथम, लखनऊ द्वितीय, वाराणसी द्वितीय, इलाहाबाद, सहारनपुर, फैजाबाद, झाँसी एवं अलीगढ़ जोन द्वारा कोई आँकड़ा अंकित नहीं किया गया है। यह स्थिति किसी भी दशा में उचित नहीं है। माह सितम्बर 2017 के एम0पी0आर0–8 के अनुसार उक्त जोन्स में दिनांक 30 सितम्बर 2017 को अवशेष समाधान राशि निम्नवत् थीः–

धनराशि लाख रू0 में

क्र0सं0	ज़ोन का नाम	दिनांक 30 सितम्बर 2017 को अवशेष समाधान राशि	समाधान योजना नहीं अपनाने वाले भट्ठों के विरूद्ध सृजित मांग में से दिनांक 30 सितम्बर 2017 को वसूली हेतु अवशेष राशि
1	गाजियाबाद प्रथम	250.42	51.77
2	लखनऊ प्रथम	–107.46	3.85
3	लखनऊ द्वितीय	–93.94	1.96
4	वाराणसी द्वितीय	585.07	19.69
5	सहारनपुर	180.05	80.77
6	फैजाबाद	274.90	1.64
7	अलीगढ़	524.39	44.11

अ– माह सितम्बर 2017 के एम0पी0आर0–8 में भी इलाहाबाद एवं झाँसी जोन द्वारा कोई आँकड़ा अंकित नहीं किया गया है।

ब– लखनऊ प्रथम तथा लखनऊ द्वितीय द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2017 को अवशेष समाधान राशि ऋणात्मक अंकित की गयी है, जो विश्वसनीय नहीं है।

2. एम0आई0एस0 मॉड्यूल एम0पी0आर0–8 में जिन जोन्स के आँकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार दिनांक 31.10.2017 को 1045.53 लाख समाधान राशि अभी भी जमा होना अवशेष है। इसके अतिरिक्त समाधान योजना नहीं अपनाने वाले भट्ठों के विरूद्ध सृजित मांग में से रू0 235.65 लाख की वसूली अवशेष है।
3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 जोन द्वितीय वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि जी0एस0टी0 लागू होने के उपरांत कुछ ईंट भट्ठों द्वारा समाधान योजना स्वीकार की गयी है तथा अधिकांश ईंट भट्ठों द्वारा रिटर्न दाखिल

नहीं किये जा रहें हैं। यह स्थिति सभी जोन्स में संभावित है। अतः सभी जोन्स से निम्न प्रारूप में सूचना वांछित है:–

क्र0सं0	जोन का नाम	कार्यरत ईंट भट्ठों की सं0	जी0एस0टी0 में माईग्रेट करने वालों की सं0	ईंट भट्ठों की सं0 जिनके द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किये जा रहें हैं।	कॉलम–5 में से ऐसे ईंट भट्ठों की सं0 जिनके द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत समाधान योजना अपनायी गयी है।
1	2	3	4	5	6

उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ईंट भट्ठों पर अवशेष समाधान राशि तथा सृजित मांग प्रत्येक दशा में दिनांक 30.11.2017 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. प्रत्येक जोन से सम्बंधित अध्यावधिक आँकड़े एम0पी0आर0–8 में दिनांक 16.11.2017 तक फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. उक्त निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचना प्रत्येक दशा में दिनांक 25.11.2017 तक विधि अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
4. जिन ईंट भट्ठों द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत समाधान योजना अपनायी गयी है अथवा रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा है, ऐसे भट्ठों को चिन्हित करते हुए तत्काल जाँच करायी जाये, किन्तु यह जाँच उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–67 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाये। धारा–67 हेतु ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) और ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) Proper Officer नामित हैं, अतः जाँच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बंधित ज्वाइण्ट कमिश्नर का होगा।
5. जिन कार्यरत भट्ठों द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत माईग्रेशन नहीं किया गया है, ऐसे भट्ठों की भी जाँच करायी जाये।

निर्देशों का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

16/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।